वे कानूनी श जो आपको पता होने चाहिए

- **आक्षेप:** एक ऐसी सुनवाई जहाँ प्रतिवादी को औपचारिक रूप से आरोप(पों) के बारे में बताया जाता है और इसमें दलील दी जाती है: कोई तवोध नहीं (थोों का तवोध नहीं कना), दोषी (आोपों को स्वीका कना), या दोषी नहीं (आोपों से इनका कना)।
- **बॉण्ड:** वह ाति जो प्रतवादी को आतिपा होने प जेल से बाह तिनकलने के तलए भुगान कनी होी है।
- **हनरतिरता या हनरतिर:** अदाली सुनवाई में देी, सुनवाई के तलए कोई औ तिदन।
- **प्रहतवादी:** वह व्यक्ति तिजसके त़िलाफ़ आोप दायर तिकया जाा है।
- **सुनवाई:** एक ऐसी अदाली काययवाही जब तकसी न्यायाधीश द्वाा तनर्यय लेने के तलए जानकाी में सुना जाा है।
- **वादी:** तकसी आपातिधक मामले में, सकाि द्वाा प्रतवादी के त़िलाफ़ आोप लगाया जाना।
- **प्री-ट्र ायल:** सुनवाई की ााीख जब अतभयोजक औ बचाव पक्ष के वकील मामले के थोों प चचाय कने के तलए तमलें हैं।
- **अहयोजक:** वह सकाी वकील जो प्रतवादी के त़िलाफ़ मामले का प्रतततिनतधत्व की है।
- **सजा:** एक ऐसी सुनवाई जहाँ न्यायाधीश या जूी प्रतवादी के तलए सजा का फैसला कते हैं।
- **सम्मन:** एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ जो गवाह को अदाल में पेश कने का आदेश देा है।
- **गवाही:** अदाल में पिथ के हि तिकसी गवाह का बयान।
- **ट्र ायल (मुकदमा):** साक्ष्य औ गवाह की गवाही पेश तिकए जाने के बाद मामले के परिणाम का फैसला कने के तलए अदाल में सुनवाई।

सुक्षा आयोजना, अपने क्षेत्र में सामुदातयक सोंसाधनों या घेलू तहोंसा कायक्रमों औ सेवाओं के बाे में औ अतधक जानकाी के तलए, अपने तनकर्ाम घेलू तहोंसा कायक्रम से सम्पकय कें:

ओतहयो घेलू तहोंसा नेर्वकय
(Ohio Domestic Violence Network):
800-934-9840 or 614-781-9651
www.odvn.org

मुफ्त कानूनी सहाया के बाे में जानकाी के तलए कृपया ओतहयो कानूनी सेवाओं (Ohio Legal Services) से सम्पकय कें:
866-lawohio (866-529-6446)
www.ohiolegalhelp.org

The Ohio Domestic Violence Network (ODVN is a statewide coalition of domestic violence programs, supportive agencies, and concerned individuals working together to stop domestic violence through education, information and training for those who are affected by domestic violence, and by promoting social and systems change.

This project is supported by Grant No. G-1901OHSDVC awarded by the Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families (ACF), Administration on Children, Youth, and Families (ACYF), Family and Youth Services Bureau (FYSB). The opinions, findings, conclusions, and recommendations expressed in this publication, program, exhibition are those of the author and do not necessarily reflect the views of the Department of Health & Human Services.

HINDI CRIMINAL COURTS BROCHURE

घरेलू हिंसा एक अपराध है

Ohio Domestic Violence Network ODVN

घरेलू हिंसा बलपूवयक तनयोंत्रर् का एक ाीका है। घोंलू तहोंसा के कु छ कायय ओतहयो में अपाध हैं। आप अपाध को रपोिय कने के तलए कानून प्रवयन को बुला सकाे हैं या तकसी अपाध को रपोिय कने के तलए अपने स्थानीय अतभयोजक के कायायलय में जा सकाे हैं।

जब आप किसी दुर्व्यवहार करने वाले र्व्क्त से अलग होने या उससे सम्बंध समाप्त करने के हलए कदम उठाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो खतरा अकसर बढ़ जाता है। कानूनी तवकल्प कु छ सुिक्षा प्रदान कासकाे हैं, पाुि सुिक्षा की गाोंिी नहीं देाे हैं। नागरिक या आपाातिधक कानूनी प्रराली का उपयोग काे समय यह सुिक्षा योजना के तलए महत्वपूरय है। सुिक्षा आयोजना के बाे में औि अतधक जानकाी के तलए, आप अपने स्थानीय घोंलू तहोंसा कायक्रम से सम्पकय कें।

ख़राब आचरण के मामले में कदम

कृ पया ध्यान दें तक ये चिर् आम हैं, लेतकन आपका मामला अलग हो सकाा है। तकसी तवतिष्ट आपाातिधक मामले के बाे में अतधक तवतिष्ट जानकाी के तलए, कृ पया तकसी स्थानीय अतधवाा या अपने अतभयोजक के कायायलय से सम्पकय कें।

1. अपाध पीताि/पीताा, गवाह, या कानून प्रवयन द्वाा सूतचा तकया जााा है।
2. कानून प्रवयक या अतभयोजक तनरयय लेाा है तक मुकदमा दायि कने के तलए पयायप्त सबूा हैं।
3. प्रतवादी की तगफ्ताी की जाी है या उसके तलए सम्मन (अदाला में पेि होने का नोतर्स) जाी तकया जााा है। यह प्रतक्रया अपाध के घतर् होने के स्थान पि या बाद में हो सकाी है।
4. आिोप लगने पि (या कभी-कभी उससे पहले) प्रतवादी आिोपों को सुनाा है, तकसी वकील के तलए अनुिोध कि सकाा है, औि किय (दलील) प्रस्तुा तकया जााा है। बॉण्ड तनधायरिा कि तदया जााा है। पीताि/पीताा अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) के तलए अनुिोध कि सकाा/सकाी है। यतद दोषी न होने का किय प्रस्तुा तकया जााा है, ाो उसके बाद एक औि अदाला की ाािीख (प्री-र्र ायल) तनधायरिा की जाी है।
   a. **कभी-कभी, प्रहतवादी सुनवाई के हबना या सुनवाई हनधायररत होने से पहले बॉण्ड पर ररहा कर हदया जाता है।इसका मतलब यह हो सकता है हक आपके हलए प्रहतवादी की ररहाई से पहले अस्थायी संरक्षण आदेश (TPO) की माँग करने का अवसर उपलब्ध नहीं है। यहद आपको तत्काल सुरक्षा की हचंता है, तो तुरंत हकसी स्थानीय अहधवक्ता या अटॉनी से सम्पकय करें। अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के हलए आरोप लगाए जाने की प्रतीक्षा न करें।**
5. यतद दोषी न होने की दलील दी जाी है, ाो प्रावेदन दायि तकए जा सकाे हैं था/अथवा प्री-र्र ायल के समय या उससे पहले तकसी भी समय दी गई दलील के बाे में दोनों पक्षों के बीच समझौाा तकया जा सकाा है। यतद दोषी होने की दलील दी जाी है या आिोपों का तवाोध नहीं तकया जााा है, ाो अदााा िुि सजा सुनाने के चिर् पि जा सकाी है (चिर् 8 देखें)।
6. यतद दलील के बाे में कोई समझौाा नहीं हो पााा है, ाो र्र ायल (मुकदमे की कायवाही) तनधायरिा तदनों के भीाि होाी है, जब कि तक प्रतवादी त्विाा र्र ायल के तलए अपने अतधकाि का त्याग नहीं कि देाा।
7. न्यायाधीि या जूी प्रतवादी को दोषी मानाे हैं या दोषी नहीं मानाे हैं।
8. यतद दोषी पाया जााा है, ाो न्यायाधीि सजा सुना सकाा है या सजा सुनाने की ाािीख तनधायरिा कि सकाा है। न्यायाधीि द्वाा सजा के बाे में फै सला तकए जाने से पहले पीताि/पीताा को इस बाे में बयान देने का अतधकाि है तक अपाध ने उसके जीवन को कै से प्रभातवा तकया है।
9. सजा (दण्ड) में ये िातमल हो सकाे हैं: जेल का समय, सामुदातयक तनयोंत्रर्, क्षतिपूतिय, था/अथवा जुमायना। सामुदातयक तनयोंत्रर् यह सुतनतिा कने के तलए तनगानी का एक रूप है (परिवीक्षा अतधकाी द्वाा या तसफय कोर्य प्यूरि जाँच द्वाा) तक प्रतवादी न्यायाधीि द्वाा बनाए गए तनयमों का पालन काा है। परिवीक्षा की िाो में ये िातमल हो सकाी हैं: तकसी जगह या तकसी व्यक्ति से दूि िहना, कानून न ाोिना, पूरय सामुदातयक सेवा, पिामिय के तलए जाना, िाब या नीली दवाओं के प्रभाव का पूरय उपचाि, घोंलू तहोंसा कने वाले व्यक्तियों (बैर्ि) के तलए आयोतजा हस्तक्षेपकाी कक्षा में भाग लेना, क्षतिपूतिय के तलए भुगान कना (अपाध से सोंबोंतधा लागाो के तलए पीताि/पीताा को भुगान कना)।
   a. **ये सीधेहवत पररणाम सुरहक्षत होने या रहने में आपके हलए सहायक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। यहद आपके पास आपकी सुरक्षा और अहधयोजन आपकी क्तस्थहत को कै से प्राहवत कर सकता है, के बारे में प्रश्न हैं, तो कृ पया हकसी अहधवक्ता से सम्पकय करें।**

घोि अपाध के बाे में उठाए जाने वाले कदम घोंलू तहोंसा से अलग हैं; यतद बचाव पक्ष पि घोि अपाध कने का आिोप लगाया गया है, ाो अतधक जानकाी के तलए अपने अतधवाा या स्थानीय अतभयोजक के कायायलय से बाा कें।

अस्थायी संरिक्षण आदेश (TPO) क्या है?

अपाध होने के बाद, औि आपाातिधक मामले के दौिान तकसी भी समय, पीताि/पीताा आपाातिधक अदाला के माध्यम से अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) के तलए अनुिोध कि सकाा/सकाी है। यह एक अस्थायी आदेि है जो िि कि होाा है जब कि तक आपाातिधक मामला खत्म नहीं हो जााा है ातक आिोतपा व्यक्ति (प्रतवादी) को कु छ कायों को कने से िोका जा सके , जैसे तक:

- फोन, डाक, ईमेल या तकसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पीताि/पीताा से सम्पकय कना।
- स्थान की पिवाह तकए तबना, पीताि/पीताा के पास होना।
- पीताि/पीताा के साथ साझा तकए गए तनवास में िहना।
- जनोपयोगी सेवाओं को बोंद कना।

अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) में कभी-कभी बच्चे िातमल हो सकाे हैं। आमाौि पि अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) के तलए अनुिोध अतभयोजन के समय तकया जााा है, लेतकन सोंभव है तक आपको उस क्तस्थति में प्रतवादी की रिहाई से पहले अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) का अनुिोध कने का अवसि न तमले, यतद उसे तगफ्ताि तकया गया था। यह याद िखना भी महत्वपूरय है तक आपाातिधक मामला समाप्त होने के साथ अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) समाप्त हो जााा है, जो तकसी भी अदाला की ाािीख पि या अदाला की ाािीखों के बीच में आपकी जानकाी के तबना हो सकाा है।

अस्थायी संरिक्षण आदेश का उल्लोंघन अपाध है। यतद प्रतवादी अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) का उल्लोंघन काा है, ाो कानून प्रवयन या अपने स्थानीय अतभयोजक के कायायलय को ाुिोंा कॉल कें। अपने सुिक्षा तवकल्पों पि चचाय कने के तलए, यथािीघ्र तकसी स्थानीय अतधवाा या अर्ॉनी से सम्पकय कें।

अपने अहधकारों को जानें!

एक पीताि/पीताा के रूप में, आपके पास अतधकाि है:

- अपनी सुिक्षा, गरिमा औि गोपनीयाा के तलए उतचा ढोंग से औि सम्मान के साथ व्यवहाि तकए जाना;
- अनुिोध कने पि, सभी सावयजतनक कायवातहयों औि उपक्तस्थि होने की सूचना पाना;
- मामले के बाे में अतधकाोंि सुनवाइयों में सुना जाना;
- प्रतवादी या उसकी ओि से कायय कने वाले तकसी व्यक्ति से उतचा सुिक्षा पाना;
- अनुिोध पि, प्रतवादी की तकसी भी रिहाई या उसके भागने की उतचा सूचना पाना;
- प्रतवादी द्वाा या उसकी ओि से साक्षात्काि, बयान, या अन्य खोज सम्बोंधी अनुिोध को अस्वीकाि कना;
- प्रतवादी से क्षतिपूतिय पाना (आतथयक नुकसान के तलए प्रतिपूतिय);
- अनुतचा देिी के तबना कायवाही औि त्विाि से मामले को तनष्कषय ाक पहुँचाया जाना;
- अनुिोध कने पि, अतभयोजक के साथ बाा कना; औि
- अपने सभी अतधकाों के बाे में, तलक्तखा रूप में सूतचा तकया जाना
- हि अदााली कायवाही में आपके साथ पीताि/पीताा के एक अतधवाा का होना।
- इस मामले में एक अस्थायी सोंिक्षर् आदेि (TPO) की माँग कना
- v आप गवाही न दें, इसके तलए तकसी के द्वाा डिाया या धमकाया न जाना। यतद कोई भी– आपके साथ दुव्ययवहाि कने वाला, दुव्ययवहाि कने वाले का अर्ॉनी, या कोई औि- मामले में सहयोग कने के वास्ते आपको डिाने के तलए कु छ भी काा या कहाा है, ाो अपने अतधवाा औि अतभयोजक को ाुिोंा सूतचा कें।

इनमें से कु छ अतधकाों के तलए आपको उन्हें प्राप्त कने के वास्ते माँग कनी होगी। अपने अतधकाों के तलए तलक्तखा रूप में सहायाा माँगने के तलए, **www.ocvjc.org/marsys-law** पि जाएँ औि "फ़ॉमय प्राप्त कें"।

Ohio Domestic Violence Network
ODVN

odvn.org | 800-934-9840